

बिहार सरकार
उद्योग विभाग
राज्य निवेश प्रोत्साहन पत्र सचिवालय

पत्रांक-SIPB2105000130

दिनांक-.....

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं० ह०)

बिहार, पटना

विषय:- वित्तीय वर्ष 2025-26 में बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 के अंतर्गत मेसर्स भारत उर्जा डिस्टिलरीज प्रा० लि०, मुजफ्फरपुर को कुल ₹ 1,80,45,143/- (एक करोड़ अस्सी लाख पैतालिस हजार एक सौ तेतालिस) रुपये मात्र के ब्याज अनुदान प्रतिपूर्ति की स्वीकृति के संबंध में।

आदेश:-स्वीकृत।

महाशय,

बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 के प्रावधानों के अंतर्गत एस०डब्ल्यू०सी० पोर्टल पर प्राप्त दावा (INC202510001664) के आधार पर मेसर्स भारत उर्जा डिस्टिलरीज प्रा० लि०, मुजफ्फरपुर को वित्तीय वर्ष 2025-26 के अंतर्गत ब्याज अनुदान दावा के आलोक में दिनांक-01.04.2025 से 30.09.2025 तक कुल ₹ 1,80,45,143/- (एक करोड़ अस्सी लाख पैतालिस हजार एक सौ तेतालिस) रुपये मात्र के ब्याज अनुदान की प्रतिपूर्ति की स्वीकृति निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती है:-

(i) इकाई न्यूनतम 5 वर्षों तक कार्यरत रहेगी। यदि 5 वर्षों के अंदर इकाई बिना किसी औचित्य और सक्षम कारण के बंद होती है तो भुगतान की गई अनुदान की राशि 18 प्रतिशत वक्रवृद्धि ब्याज के साथ वसूल की जायेगी।

(ii) इकाई द्वारा अनुदान प्राप्ति के पश्चात् 5 वर्षों तक स्थापित मशीन-उपकरण, आधारभूत संरचना, भूमि की बिक्री/लीज/ हस्तांतरण किसी अन्य को नहीं किया जाएगा।

(iii) किसी स्तर पर अनुदान की गणना करने में त्रुटि पाए जाने पर भुगतान अनुदान की राशि की वसूली नियमानुकूल की जायेगी।

(iv) प्रोत्साहन प्राप्त करने हेतु अगर कोई गलत सूचना दी जाती है अथवा ऐसी इकाई के लिए प्रोत्साहन प्राप्त किया जाता है जो योग्य नहीं थे, अथवा इस नीति के किसी शर्त के उल्लंघन करने पर प्रोत्साहन राशि के साथ ही 18% वार्षिक वक्रवृद्धि ब्याज के साथ वसूल की जाएगी। विदित समय में भुगतान नहीं करने पर राज्य सरकार गू-राजरव की गाँति सूद सहित बकाये की वसूल करेगी।

2. उक्त राशि का व्यय विभागीय राज्यादेश ज्ञापांक-2505, दिनांक-04.09.2025 के आलोक में मुख्य शीर्ष-2852-उद्योग, उप मुख्य शीर्ष 80-सामान्य, लघु शीर्ष-102-औद्योगिक उत्पादकता, गॉग संख्या-23, उप शीर्ष- 0160- प्री-प्रोडक्शन एवं पोस्ट प्रोडक्शन सुविधाओं की योजना, विपत्र कोड-23-2852801020160 के अंतर्गत विषय शीर्ष- 0160.33.01 सब्सिडी मद में बालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में उपबंधित राशि से की जाएगी।

3. उक्त स्वीकृत राशि के निकाली एवं व्ययन पदाधिकारी सहायक उद्योग निदेशक (लेखा), उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना होंगे तथा इसके नियंत्री पदाधिकारी, उद्योग निदेशक, बिहार, पटना होंगे।

4. इस राशि की निकाली नया सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से होगी।

5. इस राशि की निकाली पूर्व प्राप्ति रसीद पर बी० टी० सी० फार्म-25 पर की जाएगी।

6. इस राशि का भुगतान मेसर्स भारत उर्जा डिस्टिलरीज प्रा० लि०, मुजफ्फरपुर को उनके भारतीय स्टेट बैंक के खाता संख्या-40222985555, IFSC Code-SBIN0001232 में CFMS के माध्यम से की जाएगी।

7. प्रस्ताव पर उद्योग निदेशालय का आदेश ज्ञापांक-344, दिनांक-27.01.2021 के आलोक में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/

उद्योग निदेशक

-सह-

सदस्य सचिव, एस०आई०पी०बी०,

बिहार, पटना।

दिनांक- 05/02/26

ज्ञापांक-SIPB2105000130...SIPB/381

प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी, नया सचिवालय, विकास भवन, बिहार, पटना/सहायक उद्योग निदेशक (लेखा), उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना/आई० टी० प्रबंधक, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/ मेसर्स भारत उर्जा डिस्टिलरीज प्रा० लि०, मुजफ्फरपुर को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उद्योग निदेशक 4-2-26

-सह-

सदस्य सचिव, एस०आई०पी०बी०,

बिहार, पटना।